छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा दशम् सत्र अंक-03

रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2021

(फाल्गुन 5, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

माननीय उपाध्यक्ष ने प्रश्नकाल हेतु श्री विनय कुमार भगत, सदस्य का नाम पुकारा ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने कथन किया कि परम्परा है कि सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष किसी भी विषय में कभी भी बोल सकते हैं। किन्तु कल दिनांक 23 फरवरी, 2021 को नेता प्रतिपक्ष को नहीं बुलाया गया। ऐसी घटना सदन में पहली बार घटी। जनादेश का सम्मान करते हुए हम यहां उपस्थित रहेंगे, लेकिन प्रश्न नहीं पूछेंगे ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि छत्तीसगढ़ की जनता और हम सबके विचार यहां प्रतिबिंबित होते हैं। प्रकरण में किससे चूक हुई, यह चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन यह कोई पूर्वादाहरण नहीं होगा ।

तत्पश्चात् प्रकरण का पटाक्षेप हुआ ।

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02 से 13 तक (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री विनय कुमार भगत अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 34 तारांकित एवं 57 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्रमांक 291) पर चर्चा के दौरान प्रश्नकर्ता सदस्य श्री अजय चन्द्राकर द्वारा कथन किया गया कि प्रश्न के उत्तर में दिया गया है कि उक्त संबंध में पुनरीक्षित उत्तर में जानकारी दी गई है । मुझे कोई पुनरीक्षित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । मैंने यह प्रश्न दूसरे संदर्भ में पिछले सत्र में लगाया था, उसका उत्तर है । पिछले सत्र के प्रश्नों में कभी बहस नहीं हो सकती । आसंदी से आग्रह है कि इसमें आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत की जावे या इसे दूसरे दिन रख लिया जावे ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने आधे घंटे की चर्चा हेतु सहमति व्यक्त की ।

उपाध्यक्ष महोदय ने आधे घंटे की चर्चा हेतु स्वीकृति दी ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 04 पर चर्चा के दौरान श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

3. पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा, श्री नारायण चंदेल एवं अन्य प्रतिपक्षी सदस्यों ने प्रदेश में महिलाओं के साथ अनाचार, छेड़छाड़ एवं तस्करी जैसी घटना घटित होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की।

सभापति महोदय ने व्यवस्था दी कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना अग्राह्य कर दी गई है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए ।)

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.16 बजे स्थगित की जाकर 12.23 बजे समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने नवापारा राजिम में महानदी पर निर्मित एनीकट से लेकर कुलेश्वर मंदिर तक सिल्ट जमा होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रविन्द्र चौबे, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

5. बहिर्गमन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

(3) श्री सौरभ सिंह

(4) श्री सत्यनारायण शर्मा

(5) श्री कुलदीप जुनेजा

7. वित्तीय वर्ष 2020-21 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय उपाध्यक्ष ने घोषणा की कि अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरा अनुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है । अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें ।

(सदन द्वारा सहमति दी गई)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि:-

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 6, 7, 10, 24, 41, 47, 58, 64, एवं 71 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर पांच सौ पांच करोड़, सात सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने कथन किया कि तृतीय अनुपूरक अनुमान कल प्रस्तुत हुआ उसमें मांग संख्या 58 मुख्य शीर्ष 2245, मद क्रमांक-1 से 6, अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षति के लिए 16 सौ लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। अत: इस प्रयोजन हेतु 16 सौ करोड़ रूपये चाहिये या 16 करोड़ चाहिये इसका स्पष्टीकरण आना चाहिये । अत: गलत बजट पर कैसे चर्चा हो सकती है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने कथन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें एक संशोधन पढ़ दें कि मांग संख्या 58, मुख्य शीर्ष 2245 में 1600 करोड़ के स्थान पर 16 करोड़ पढ़ा जाए।

8.बजट पुस्तिका में संशोधन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, ने संशोधन प्रस्तुत किया कि बजट पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 13, मांग संख्या 58, मुख्य शीर्ष 2245 में 1600 करोड़ के स्थान पर 16 करोड़ पढ़ा जावे।

9. वित्तीय वर्ष 2020-21 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान(क्रमश:)

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की । (जारी)

(1.30 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल।)

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने आसंदी का ध्यान अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की अनुपस्थिति की ओर आकर्षित किया एवं कार्यवाही स्थगित करने का आग्रह किया ।

(3.02 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित की जाकर 3.09 बजे समवेत हुई ।)

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने व्यवस्था की मांग की कि वित्त विभाग के अधिकारी या वित्त मंत्री में से कोई तो होना चाहिये । आखिर माननीय सदस्यों की बातों को कौन नोट करेगा ?

सभापति महोदय ने व्यवस्था दी की माननीय गृह मंत्री और माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री उपस्थित हैं, वे अधिकारियों को निर्देश दे देंगे कि भविष्य में इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिये ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री मोहन मरकाम, डॉ.रमन सिंह, डॉ.लक्ष्मी ध्रुव,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री सौरभ सिंह, अरूण वोरा, केशव प्रसाद चन्द्रा, शैलेष पाण्डेय,

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्य सूची के पदक्रम 04 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -1) विधेयक, 2021 (क्रमांक 1 सन् 2021)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -1) विधेयक, 2021 (क्रमांक 1 सन् 2021) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -1) विधेयक, 2021 (क्रमांक 1 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2021 (क्रमांक 1 सन् 2021) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

सायं 5.42 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 25 फरवरी, 2021 (फाल्गुन 6, शक संवत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा